

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 11.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में धर्मसिंहवा थाने में अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री से सम्बन्धित 32 विभिन्न अभियोगों में बरामद 536 लीटर अवैध कच्ची शराब को किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में उपजिलाधिकारी मेंहदावल के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार ***श्रीमती अल्पिका वर्मा*** तथा थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा ***श्री अमित कुशवाहा*** के नेतृत्व में मालखाना धर्मसिंहवा थाना में लंबे समय से जमा अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन एवं बिक्री से सम्बन्धित विभिन्न आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कुल 32 अभियोगों से सम्बन्धित 536 लीटर अवैध कच्ची शराब को विधि सम्मत तरीके से नष्ट किया गया । यह कार्यवाही अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने तथा जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गयी है । इस दौरान सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

